पत्रांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (पावर ग्रिड)–वैशाली –145/2013–   दि0–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या : – 2220/रा0   दिनांक : – 09-09-13

चूकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि **ग्राम – खोकसा बुजुर्ग, प्रगना – विसारा, थाना – देसरी, थाना नं0 – 440 जिला – वैशाली** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित हैं, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त **ग्राम – खोकसा बुजुर्ग** के भीतर कमोवेश **01 बीघा 09 कट्ठा 01 धुर** जो मानक माप से **0.48 एकड़** के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एंव चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

खेसरा अनुसूचि

पूर्ण खेसरा सं0 – 437, 438, 439, 440 एंव 441

सीमा अनुसूचि

(चौहद्दी)

उत्तर : – **435 पूर्ण, 441 पूर्ण**

पुरब : – 406 अंश 407 पूर्ण, 408 पूर्ण, 409, 410 (अंश)

दक्षिण : – 471, 472

पश्चिम : – **436**

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 4 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो । भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

अपर समाहर्त्ता, वैशाली/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के प्रारम्भिक अनुसंधान के समय लगे विभाग के पदाधिकारियों और उनके स्टाफ को प्राधिकृत करते है कि वे भुमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करे तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप धारा– (2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यो को समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें ।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा 17/4 के द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार नें इन परियोजना की तत्परता (Urgency) को देते हुए निश्चय किया गया है कि इन भू–अर्जन की कार्रवाई में भू–अर्जन अधिनियम की धारा –5–ए की कार्रवाई लागू नही होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक : 2220/रा० **दिनांक :** 09-09-13

प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्त्ता, वैशाली/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू–अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, हाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/13

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।